

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1798
जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

आजी बांध में जल संग्रहण क्षमता

1798. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

आजी बांध की जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात राज्य सरकार की भागीदारी से क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

भारत सरकार विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक की वित्तीय सहायता से बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II और III का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, जलाशयों की कम हुई क्षमता की संभव सीमा तक पुनरुद्धार करने के लिए कुछ पायलट जलाशयों के लिए आवश्यकता के आधार पर गाद निकालने/तलछट प्रबंधन कार्य शुरू करने का प्रावधान है। गुजरात जल संसाधन विभाग ड्रिप चरण- II और III योजना के अंतर्गत भाग लेने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है। ड्रिप योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, 400 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गुजरात के छह बांधों की सुरक्षा में सुधार करने संबंधी प्रावधान मौजूद है। हालांकि, गुजरात जल संसाधन विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत आजी बांध के पुनर्वास का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

जल संसाधन विभाग, गुजरात ने सूचित किया है कि इस समय राजकोट शहर में पेयजल की आपूर्ति करने के लिए आजी बांध की योजना बनाई गई है।
